

न्यायालय तहसीलदार कठुंभर (आजवर) राजा

सरकार आदि रिपोर्ट पटवारी हलका 31/8/81 बनाम केसरी मुखेश मिश्रा JAZ

प्रकरण अर्थात् धारा 91 एलआर फल

प्रकरण संख्या - RA/72/2018

निर्णय दिनांक - 26/3/19

प्रस्तावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि रास 2 वेडलीतर्फरेला की आ.ख.न. 160 कुल रकवा 0-02 गिस्म जाकीन गणपुर में से 6-01 रकवा पर की केसरी मुखेश मिश्रा पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर 2781/8 कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हलका 31/8/81 द्वारा दिनांक 27/8/18 को उपरोक्त विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव भू.अ.निरी. द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी केसरी मुखेश मिश्रा जाति JAZ निवासी 2 वेडलीतर्फरेला को भू.राजसय अधिनियम 1950 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी केसरी

उपस्थित आया। जदाव नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उदता रकवा आ.ख.न. 160 रकवा 0-02 में से 0-01

रकवा किरा 31/8/18 है जो नियमन के योग्य नहीं है किहाजा नौरसायम को आलेकमित रकवा से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरुप लगान 6/Paise का 50 गुणा 31/8/18 रुपये चैनस्टी आरोपित की जाती है गांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, चैनस्टी नसूली एवं वेदखली हेतु हलका पटवारी 31/8/81 भू.अ.निरी. को लिखा जाकर याद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार  
कठुंभर, आजवर (राज.)

अतिरिक्त - प. 8